



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)



भा.प्र.मु.नि.लि./16(के)/09 (खण्ड 8)/1419
SPMCIL/VIG/16(K)/09 (VOI-8)/1419

दिनांक 19.07.2022
Date 19.07.2022

परिपत्र संख्या 06/22/Circular No. 06/22

विषय/Sub: स्याही कंटेनरों पर निर्माण की तिथि एवं समाप्ति की तिथि का उल्लेख करने के संबंध में। **Regarding display of date of manufacturing & date of expiry on ink containers.**

एक इकाई में स्टॉक के वार्षिक भौतिकीय सत्यापन कार्य के दौरान यह पाया गया कि स्याही कंटेनर पर समाप्ति की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है केवल निर्माण की तारीख का उल्लेख किया गया है।

During the Annual Physical Verification of stocks at one of the Unit, it was observed that date of expiry of ink was not mentioned and only date of manufacturing was displayed on the ink containers.

2. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्याही की शेल्फ लाइफ सीमित है, निर्माण और समाप्ति तिथि दोनों को स्पष्ट रूप से कंटेनरों पर सकल वजन और शुद्ध वजन के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए। एसपीएमसीआईएल की इकाइयों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि इसी अभ्यास का सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा, जो इकाइयां स्याही का उपयोग कर रही हैं, उन्हें समाप्ति तिथि की रिकॉर्डिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि स्याही को उसकी आवश्यकताओं के आधार पर अपने शेल्फ जीवन के भीतर इस्तेमाल किया जा सके और अप्रचलित होने से रोका/सुरक्षित किया जा सके।

2. Considering the fact that, the ink has limited shelf life, both the manufacturing as well as expiry dates should be clearly mentioned on the containers along with gross weight and net weight. Units of SPMCIL are advised to make sure that the same practice is followed strictly. Further, units which are using ink should ensure proper mechanism of recording of expiry date so that the ink could be used within its shelf life based on its requirements and prevent/ safeguarding from being obsolete.

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की बेवसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

3. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

मु. प्र. नि. लि.

भा.प्र.मु.नि.नि.लि./16(के)/09 (खण्ड 8)/419
SPMCIL/VIG/16(K)/09 (VOI-8)/419

दिनांक 19.07.2022
Date 19.07.2022

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।
4. This issues with the approval of Competent Authority.

सुस. पी. गंदम
19/07/22
(एस.पी.गंदम)/(S.P.Gandam)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

मुख्य महाप्रबंधक/The Chief General Manager,
टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,
भा.प्र.मु.नि.नि.लि./SPMCIL.

प्रतिलिपि/CC:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कार्यालय/CMD Office ।
2. निदेशक (मा.सं.) के कार्यपालक सचिव/ निदेशक (वित्त) कार्यालय/ निदेशक (तकनीकी) के कार्यपालक सचिव/ मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यपालक सचिव/ES to Director (HR)/Director (Fin) Office/ ES to Director (Tech)/ES to CVO.
3. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं./तकनीकी)/महाप्रबंधक (वित्त)/CGM (HR/Tech)/GM (Finance).
4. अपर महाप्रबंधक (तकनीकी/सू.प्रौ.)/संयुक्त महाप्रबंधक विपणन/मा.सं./AGMs (Tech/IT)/JMs (Marketing/HR) ।
5. सभी सतर्कता कार्यकारी (टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/निगम मुख्यालय)/ All Vigilance officials Mints/Presses/Paper Mill)